राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

दिनांक : 04 अप्रैल 2022

पत्रांक : CCE/ISDC/AAP/2021-22/-97--;

प्राचार्य
समस्त निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः बजट घोषणा (फरवरी 2019 की बिंदु संख्या 32) की क्रियान्विती में सत्र 2021–22 से समस्त निजी महाविद्यालयों का सतत वार्षिक अंकेक्षण करवाये जाने के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपर्युक्त बजट घोषणा की विभागीय स्तर पर क्रियान्विती में राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक अंकेक्षण कार्य सत्र 2019–20 से आरंभ हो चुका है। इसी कम में निर्देशानुसार सत्र 2021–22 से सभी राजकीय महाविद्यालयों के साथ–साथ सभी निजी महाविद्यालयो का भी वार्षिक अंकेक्षण/मूल्यांकन एवं श्रेणी सुधार के लिए एक व्यवस्थित प्रयास इस Annual Auditing Programme (AAP) के अन्तर्गत आरम्भ किया जा रहा है।

इस कार्य हेतु Assessment Matrix (Evaluation Format, excel sheet/Format - B) आपको महाविद्यालय की ई–मेल में प्रेषित किया जा रहा है। यह फॉर्मेट–B कॉलेज शिक्षा राजस्थान की वैबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इस फॉर्मेट–B को भरकर इसकी सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को ई–मेल आईडी **aap.pvt.cceraj@gmail.com** पर **दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक** भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रारूप में भरी गई सूचनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेज की क्रम संख्या इस फॉर्मेट में भरकर उनकी हार्ड–कॉपी भी एक फाइल बनवाकर तैयार रखें। **यह सूचना सभी निजी महाविद्यालयों को भरकर भेजना अनिवार्य है।** किसी सहायता के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें –

फॉर्मेट भरने संबंधी जानकारी के लिये	डा. प्रदीप कुमार मोदी	प्राचार्य, राजकीय महा. बाप, जोधपुर	9413307717
	डा. नरेन्द्र भोजक	सह आचार्य, राज. डूंगर महा. बीकानेर	9414142979
मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक जानकारी	डा. विनोद कुमार भारद्वाज	प्रभारी, AAP योजना, आकाशि, जयपुर	9414304650
	डा. ललिता यादव	सहप्रभारी, AAP योजना, आकाशि, जयपुर	9529993619

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/ISDC/AAP/2020-21/98-99 दिनांक : 04 अप्रैल 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजसथान।
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक निजी संस्थाएं, आकाशि जयपुर को प्रति भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि इस आदेश को प्रेषित excel sheet (Format - B) एवं इसके Google form को आपके माध्यम से सभी निजी महाविद्यालयों को ई–मेल द्वारा प्रेषित करवाने का श्रम करें।
5. वैब प्रभारी को आकाशि वैबसाइट पर अपलोड/ई–मेल करने हेतु/ रक्षित पत्रावली।

4/4/2022

प्रभारी अधिकारी
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ